

नम्बर व ता  
जो इस हुक्म  
में जा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता  
जो इस हुक्म  
में जा

19. 3. 25

पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण  
में वकील वादी कायम मुकाम प्रा. पत्र पेश करने का  
अवसर चाहते हैं. पूर्व में इन्हें दिनांक 1-7-24 से आज  
दिनांक तक कोई अवसर दिये जा चुके हैं. CPC के प्रावधानों  
के अनुसार मृतक के विधि-वारिसान को रिकार्ड लेने  
है. 30 दिवस की अवधि में प्रा. पत्र पेश किया जाना  
होता है. या विलम्ब से पेश करने पर उचित कारण  
जताते हुए 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम प्रा.  
पत्र पेश करना होता है. प्रकरण में 90 दिवस की अवधि  
के गुजर जाने के पश्चात् भी कायम मुकाम प्रा. पत्र  
पेश नहीं किया गया है. इसी रिधति में पत्रावली  
में विधि-वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जाने से  
दावा खारिज किया जाता है. पत्रावली फौसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो.

५५